रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 1974/माघ 11, 1895

No. 20] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 1974/MAGHA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 31st January 1974

G.S.R. 25(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Sugar (Control) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Control) Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugar (Control) Order, 1966, to clause 4, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that this clause shall not affect the pledging of such sugar by any producer in favour of any scheduled bank as defined in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or any corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and no such bank shall sell the sugar pledged to it except under and in accordance with a direction issued in writing by the Central Government.".

[No. 13-13/73-S.PY.]

S. V. SAMPATH, Jt Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1974

सा० का० नि० 25 (अ)/आव० वस्तु/शर्करा.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शर्करा (नियंत्रण), आदेश, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम शर्करा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा (3) के खण्ड (ङ) के यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंककार कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित किसी तत्समान नए बैंक के हक में किसी उत्पादक द्वारा ऐसी शर्करा के गिरवी रखने पर इस खण्ड का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसा बैंक, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए किसी निदेश के अधीन और अनुसार के सिवाय, गिरवी रखी गई शर्करा का विक्रय नहीं करेगा ।"

[सं० 13–13/73–एस० पी०वाई०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974